/

एम. एच. डी. एफ. आई. आर. ओ. जेड बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) 2022 का सं. 282) में

/

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 612) 21 अक्टूबर, 2022

[उदय उमेश ललित**,** सी**.** जे**.** आई**.,** एस**.** रवींद्र भाट और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

/

समीक्षा-सजा की मात्रा पर स्पष्टीकरण मांगा गया-दिनांकित 19.04.2022 निर्णय में जिसके लिए समीक्षा मांगी गई है, याचिकाकर्ता-अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था और एस. एस. के अंतर्गत अपराधों के लिए दंडित किया गया था।376(2)(i), 376 (2) (m) और s के अंतर्गत ।376(ए) भारतीय दंड संहिता सी. के साथ-साथ एस. के अंतर्गत भी।5 ((i) और एस।5 (एम) एस के साथ पढ़ें।6 पॉक्सो अधिनियम का-दिनांक 1 के निर्णय में, न्यायालय ने एस के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा के लिए मौत की सजा को कम करते हुए।302 भारतीय दंड संहिता सी. के अधीन अअंतर्गत ◌ाध के लिए 20 वर्ष के कारावास की सजा का अधिरोपण करते हुए, न कि अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास।376 ए, भारतीय दंड संहिता सी. ने प्रतिशोधात्मक न्याय और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के पैमाने को संतुलित करने का प्रयास किया-यदि आजीवन कारावास की सजा सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई थी और उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई थी, तो आजीवन कारावास का अर्थ होगा याचिकाकर्ता (मूल अपीलार्थी) के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास-न्यायालय ने जानबूझकर एस के अंतर्गत अपराध के लिए 20 साल की सजा सुनाई थी।376 ए-इसलिए अपीलार्थी-याचिकाकर्ता को अपराध के लिए 20 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरना होगा-एस. एस. के अंतर्गत अपराध के लिए लगाई गई सजा। 376(2)(भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) (एम) और एस. एस. के अंतर्गत अपराध के लिए।5(i) और 5 (m) को s के साथ पढ़ा जाता है।6 पॉक्सो अधिनियम में संशोधन किया गया है, ताकि उक्त वाक्यों को एस के अंतर्गत अपराध के लिए लगाए गए दंड के अनुरूप बनाया जा सके।376(ए) भारतीय दंड संहिता सी. की धारा, और तदनुसार सजा याचिकाकर्ता को उक्त अपराधों के लिए आजीवन कारावास के बजाय बीस साल की अवधि के लिए कारावास से गुजरने का निर्देश देते हुए लगाई जाती है-19.04.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश को तदनुसार सही किया जाता है और उस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

/

/

/

/

/

1027

1028

/

[2022] 13 एस सी आर।

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयःसमीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) 2019 की आपराधिक अपील संख्या 612 में 2022 की संख्या 282।

[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2013 की आपराधिक अपील No.2920 और 2013 की आपराधिक संदर्भ संख्या 9 में जबलपुर पीठ के दिनांकित 15.07.2014 के निर्णय और आदेश से]

/

बी. एच. मार्लापल्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता, (एसी), सुश्री तृषा चंद्रन, भावेश सेठ, सुश्री हरिनी रघुपति, रामनेश कुमार साहू, सत्य मित्रा, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

पी. वी. योगेश्वरन, पशुपति नाथ राजदान, सुश्री आयुषी मित्तल, विपुल अभिषेक, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. आवेदक-अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित प्रार्थनाओं के लिए तत्काल आवेदन दायर किया गया है:

/

(क) यह स्पष्ट करते हुए एक आदेश पारित करें कि 2018 की आपराधिक अपील में इस माननीय न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय के अनुसार, आवेदक द्वारा दी जाने वाली सजा यौन अपराध अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) के अंतर्गत बच्चों के संरक्षण की धारा 212,5 (एम), (आई) और 6 के अंतर्गत अपराध के लिए आजीवन कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए के अंतर्गत अपराध के लिए 20 साल की अवधि के लिए कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत अपराध के लिए 10 साल के लिए कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत अपराध के लिए 7 साल के लिए कठोर कारावास है।

/

/

निर्णय (निर्णय खनिर्णय)निर्णय निर्णय यनिर्णय हनिर्णय निर्णय सनिर्णय ्निर्णय पनिर्णय षनिर्णय ्निर्णय टनिर्णय निर्णय कनिर्णय रनिर्णय तनिर्णय ेनिर्णय निर्णय हनिर्णय ुनिर्णय एनिर्णय निर्णय एनिर्णय कनिर्णय निर्णय आनिर्णय दनिर्णय ेनिर्णय शनिर्णय निर्णय पनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय िनिर्णय तनिर्णय निर्णय कनिर्णय रनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय निर्णय एनिर्णय लनिर्णय .निर्णय निर्णय डनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय निर्णय दनिर्णय ्निर्णय वनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय ानिर्णय निर्णय लनिर्णय गनिर्णय ानिर्णय ईनिर्णय निर्णय गनिर्णय ईनिर्णय निर्णय सनिर्णय जनिर्णय ानिर्णय ।निर्णय निर्णय सनिर्णय तनिर्णय ्निर्णय रनिर्णय निर्णय ननिर्णय ्निर्णय यनिर्णय ानिर्णय यनिर्णय ानिर्णय धनिर्णय ीनिर्णय शनिर्णय ,निर्णय निर्णय सनिर्णय िनिर्णय वनिर्णय ननिर्णय ीनिर्णय निर्णय कनिर्णय ोनिर्णय भारतीय दंड संहिता निर्णय निर्णय सनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय निर्णय धनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय ानिर्णय निर्णय 3 निर्णय 7 निर्णय 6 निर्णय निर्णय (निर्णय 2 निर्णय)निर्णय निर्णय (निर्णय एनिर्णय मनिर्णय)निर्णय निर्णय औनिर्णय रनिर्णय निर्णय 3 निर्णय 7 निर्णय 6 निर्णय निर्णय (निर्णय 2 निर्णय)निर्णय निर्णय (निर्णय आनिर्णय ईनिर्णय)निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय अंतर्गत निर्णय निर्णय इनिर्णय सनिर्णय निर्णय मनिर्णय ानिर्णय ननिर्णय ननिर्णय ीनिर्णय यनिर्णय न्यायालय निर्णय निर्णय दनिर्णय ्निर्णय वनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय ानिर्णय निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय 1 निर्णय 8 निर्णय निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय निर्णय आनिर्णय पनिर्णय रनिर्णय ानिर्णय धनिर्णय िनिर्णय कनिर्णय निर्णय अनिर्णय पनिर्णय ीनिर्णय लनिर्णय निर्णय 6 निर्णय 1 निर्णय 2 निर्णय निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय निर्णय दनिर्णय िनिर्णय ननिर्णय ानिर्णय ंनिर्णय कनिर्णय िनिर्णय तनिर्णय निर्णय आनिर्णय ईनिर्णय .निर्णय निर्णय डनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय निर्णय 1 निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय फनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय भारतीय दंड संहिता निर्णय निर्णय सनिर्णय ीनिर्णय .निर्णय निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय निर्णय धनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय ानिर्णय निर्णय 3 निर्णय 7 निर्णय 6 निर्णय एनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय अंतर्गत निर्णय निर्णय 2 निर्णय 0 निर्णय निर्णय सनिर्णय ानिर्णय लनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय

कनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय ानिर्णय वनिर्णय ानिर्णय सनिर्णय निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय निर्णय सनिर्णय जनिर्णय ानिर्णय निर्णय सनिर्णय ुनिर्णय ननिर्णय ानिर्णय ईनिर्णय निर्णय गनिर्णय ईनिर्णय निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय ।निर्णय

/

(ग) यह स्पष्ट करते हुए एक आदेश पारित करें कि धारा 5 (एम) और (आई), 6, पॉक्सो के अंतर्गत अपराध के लिए आवेदक द्वारा दी जाने वाली सजा आजीवन कारावास है न कि प्राकृतिक जीवन की याद दिलाने के लिए आजीवन कारावास।

/

1029

एम. एच. डी. फिरोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य [बेला एम. त्रिवेदी, जे.] ए.

/

(घ) एल. डी. को निर्देश देते हुए आदेश पारित करें। सत्र न्यायाधीश सिओनी प्रार्थना ए से सी के अनुसार अधिनिर्णय के आदेश को संशोधित करेंगे।

(ई) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई अन्य आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय उचित समझे।

/

2. न्यायालय ने पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद 19.10.2022 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"तत्काल विविध आवेदन को समीक्षा याचिका के रूप में माना जाता है और रजिस्ट्री द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

मामले में मौखिक सुनवाई की अनुमति है।

/

श्री बी**.** एच**.** मार्लापल्ले**,** विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता**,** जो अभियुक्त की ओर से न्यायमित्र के रूप में इस न्यायालय की सहायता कर रहे हैं**,** प्रस्तुत करते हैं कि **-**

(क**)** आदेश के पैराग्राफ **43** में**,** इस न्यायालय ने **(i)** भारतीय दंड संहिता की धारा **(**संक्षेप में**,** 'भारतीय दंड संहिता सी**.')** के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा को संशोधित कर आजीवन कारावास कर दिया**; (ii)** भारतीय दंड संहिता की धारा **376** ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए "अपने जीवन के शेष भाग के लिए" कारावास के बजाय बीस साल की सजा सुनाई**;** और **(iii)** भारतीय दंड संहिता सी**.** और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम**, 2012 (**संक्षेप में**,** 'पॉक्सो अधिनियम'**) (**बी**)** के अंतर्गत अन्य अपराधों

के लिए नीचे दिए गए न्यायालय ों द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। इन तीन अपराधों के संबंध में, प्रत्येक मामले में अपीलार्थी-अभियुक्त को दी गई सजा इस योग्यता के साथ आजीवन कारावास थी कि "यह उसके प्राकृतिक जीवन के शेष भाग के लिए होगी"।**(ग)** यद्यपि, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने से पहले धारा **376** में संशोधन लागू किए गए थे, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन अपराध किए जाने के काफी बाद लागू किया गया था।

/

/

/

/

/

(डी**)** इन परिस्थितियों में, पॉक्सो अधिनियम की धारा **6** के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में "उसके शेष प्राकृतिक जीवन" की योग्यता के साथ आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती थी।

(ई**)** भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **376** ए के अंतर्गत अपराध के लिए "अपने शेष प्राकृतिक जीवन" के लिए कारावास के बजाय बीस साल की अवधि की सजा की सजा को कम करने का लाभ देने के बाद, अपीलार्थी के मामले पर भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **376 (2) (**आई**)** और **376 (2) (**एम**)** के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में उसी तर्ज पर विचार किया जाना चाहिए।

/

/

राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री पी**.** वी**.** योगेश्वरन ने पॉक्सो अधिनियम की धारा **6** के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दी जाने वाली सजा के संबंध में निवेदन को निष्पक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **376 (**आई**)** और **376 (**एम**)** के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए सजा के संबंध में मामले को इस न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया है।

/

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। ऑर्डर आरक्षित है। "

3. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि हालांकि आवेदक/अपीलकर्ता ने शीर्षक वाली अपील में पारित दिनांक 1 के निर्णय के स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन आवेदक ने वास्तव में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (आई) और 376 (2) (एम) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 (आई) और 5 (एम) के अंतर्गत अपराधों के लिए अदालत द्वारा लगाए गए दंड के संबंध में उक्त निर्णय की समीक्षा की मांग की थी। पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन को न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका के रूप में माना गया था और रजिस्ट्री को दिनांकित वन आदेश 19.10.2022 के अनुसार पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया था।

/

/

/

4. याचिकाकर्ता की ओर से न्याय मित्र के रूप में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी. एच. मार्लापल्ले ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में निहित प्रावधानों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) (आई) और 376 (2) (एम) के अंतर्गत अपराध के लिए निर्धारित सजा एक अवधि के लिए कठोर कारावास है जो 10 साल से कम नहीं होगी और ए.

/

पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अपराध 20 साल से कम नहीं होगा, लेकिन दोनों मामलों में यह आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास।उनके अनुसार, इस न्यायालय ने जानबूझकर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (ए) के अंतर्गत अपराध के लिए बीस साल के लिए सजा सुनाई, न कि आजीवन कारावास के लिए, जो अन्यथा अपीलार्थी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास का अर्थ होता, निर्णय में बताए गए कारणों के लिए, और इसलिए उक्त उद्देश्य निराश होगा यदि इस न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (आई) और 376 (2) (एम) के अंतर्गत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की जाती है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 (आई) और धारा 6 के साथ पठित धारा 5 (एम) के अंतर्गत उपयुक्त रूप से संशोधित नहीं किया जाता है।

/

/

5. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री पी. वी. योगेश्वरन ने उक्त दलीलों को निष्पक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है, हालांकि इस मामले को न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया है।

6. पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलों और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) (आई), 376 (2) (एम) के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (ए) के अंतर्गत अपराधों के लिए निर्धारित दंडों के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (आई) और धारा 5 (एम) के अंतर्गत अपराध के लिए, जिसके लिए याचिकाकर्ता-आरोपी ने दोषी ठहराया है और दंडित किया है, और इस न्यायालय द्वारा 19.04.2022 के निर्णय में की गई टिप्पणियों पर चिंता से विचार करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा के लिए मौत की सजा को कम करते हुए, और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) (आई), 376 (2) (एम) के अंतर्गत अपराधों के लिए निर्धारित सजा को 20 साल के कारावास से गुजरने के लिए, न कि कारावास से गुजरने के लिए, ऐसा प्रतीत होता है। उसी समय न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता सी. और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अन्य अपराधों के लिए निचली अदालतों द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (आई) और 376 (एम) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 (आई) और 5 (एम) के अंतर्गत अपराध शामिल था। इसलिए, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मार्लापल्ले द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है, यदि सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई आजीवन कारावास की सजा की भी इस न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) (आई) और 376 (2) (एम) के अंतर्गत अपराध के लिए और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 (आई) और 5 (एम) के अंतर्गत अपराध के लिए पुष्टि की जाती है, तो आजीवन कारावास का अर्थ होगा -

/

/

/

/

/

याचिकाकर्ता (मूल अपीलार्थी) के शेष प्राकृतिक जीवन और उस मामले में, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (ए) के अंतर्गत अपराध के लिए याचिकाकर्ता के शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा न देने में न्यायालय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।न्यायालय ने निर्णय में बताए गए कारणों के लिए धारा 376 ए के अंतर्गत अपराध के लिए जानबूझकर बीस साल की सजा सुनाई थी।इसलिए न्यायालय श्री मार्लापल्ले की दलीलों को स्वीकार करने और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) (आई) और 376 (2) (एम) के अंतर्गत अपराध के लिए और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (आई) और 5 (एम) के अंतर्गत अपराध के लिए लगाए गए दंड को संशोधित करने के लिए इच्छुक है, ताकि उक्त दंड को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (ए) के अंतर्गत अपराध के लिए लगाए गए दंड के साथ जोड़ा जा सके और तदनुसार अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता को उक्त अपराधों के लिए आजीवन कारावास के बजाय बीस साल की अवधि के लिए कारावास की सजा का निर्देश दिया जा सके।

/

/

7. इस आदेश का परिणाम यह होगा कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) (आई) और 376 (2) (एम) के अंतर्गत अपराध के लिए 20 साल की अवधि के लिए और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 (आई) और 5 (एम) के अंतर्गत अपराध के लिए 20 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरेगा। 2019 की आपराधिक अपील संख्या 612 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.04.2022 के निर्णय और आदेश को उपरोक्त सीमा तक सही और संशोधित किया गया है।शेष निर्णय अपरिवर्तित रहेगा।

/

/

8. समीक्षा याचिका को तदनुसार अनुज्ञात जाती है।

/

याचिका की अनुज्ञात गई।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

/

/

/